प्रतिलिपि आदेश दिनांक 17-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 3105-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 25-6-13 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्र0क्र0 731/अ-6/2008-2009.

मोहनलाल तनय भगवान यादव
निवासी ग्राम ढिकौली तहसील
जिला बड़ागांव धसान जिला टीकमगढ़ म0प्र0 --- आवेदक

विरुद्ध

1- भैयालाल तनय विज्जे यादव
निवासी ग्राम ढिकौली तहसील
बड़ागांव धसान जिला टीकमगढ़ अन्य-3 -- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 3105/III/2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक हस्ताक्षर

17.6.2019

यह निगरानी आयुक्त , सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 731/अ–6/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 25 जून 2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि ग्राम डिकोली स्थित भूमि सर्वे कमांक 864 लगायत 870 कुल किता 7 कुल रकबा 3.095 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) अधार, लखन एंव गंगा यादव ने नीलामी में कय की है और सिविल न्यायालय ने आदेश दिनांक 26–12–58 में केवल भैयालाल को काविज होना माना है भूमिस्वामी नहीं माना है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने रिकार्ड की हेराफेरी की जांच हेतु प्रकरण नायव तहसीलदार बड़ागांव को प्रत्यावर्तित किया है किन्तु अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने निगरानी कमांक 77/04–05 में पारित आदेश दिनांक 26–6–06 से एस0डी0ओ0 के विधिवत् आदेश को निरस्त करने में गलती की है और जब अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष अपील की गई, अपर आयुक्त ने न्याय नहीं किया है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया जावे।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध

अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि व्यवहार वाद कमांक 136/58 में पारित आदेश दिनांक 26–12–1958 के अनुसरण में अपर कलेक्टर ने अनावेदक कमांक 1 भैयन पुत्र बिज्जे को वादग्रस्त भूमि का मालिक एंव काविज माना है , जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने व्यवहार न्यायालय के आदेश को अनदेखा करके आदेश पारित किया है । व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है, जिसके कारण अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 77/2004–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–6–06 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26–6–2006 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य